रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 380] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 8, 2011/आषाढ़ 17, 1933
No. 380] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 8, 2011/ASADHA 17, 1933

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

(गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2011

सा.का.नि. 524(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय में अपर निदेशक (फॉरेंसिक लेखापरीक्षा) के पद पर नियुक्ति के तरीके को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः :—

1. **संक्षिप्त नाम एवं लागू होने की तारीख.**—(1) इन नियमों को गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, अपर निदेशक (फॉरेंसिक लेखापरीक्षा) (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2011 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण एवं पे बैंड तथा ग्रेड पे/वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण एवं पे बैंड तथा ग्रेड पे/वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा एवं अन्य अर्हताएं.**—उक्त पद हेतु नियुक्ति की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं एवं अन्य बातें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (14) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिपिबद्ध करके एवं संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में, समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड एवं ग्रेड पे/ वेतनमान	योग्यता के आधार पर चयन या चयन-सह-वरिष्ठता अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्दीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अपर निदेशक (फॉरेंसिक लेखापरीक्षा)	2* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' अराजपत्रित, (गैर-अनु-सचिवीय)	पे बैंड-4, रु. 37400-67000 (ग्रेड पे रु. 8700)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती का पद्धति : सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में ग्रेड जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रतिनियुक्ति :** केन्द्र सरकार के तहत केन्द्रीय संगठित लेखापरीक्षा सेवा के अधिकारी (भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखांकन सेवा, भारतीय रक्षा लेखांकन सेवा, भारतीय लागत लेखांकन सेवा, भारतीय रेलवे लेखांकन सेवा, डाक एवं टेलीग्राफ वित्त एवं लेखांकन सेवा, भारतीय लोक लेखांकन सेवा; (क) (i) मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करता हो, या (ii) अपने मूल कैडर या विभाग में पे बैंड एवं ग्रेड पे/वेतनमान रुपए 15600-39100 एवं ग्रेड पे रुपए 7600 के ग्रेड में या उसके समान ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर पांच वर्ष का सेवा अनुभव ; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव धारण करता हो :— **अनिवार्य :—** (क) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि ; या (ii) भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान/भारतीय लागत एवं संकर्म लेखाकार संस्थान के सदस्यों के पंजी में पंजीयन हेतु मान्यता प्राप्त अभियोग्यता

(12)
(ख) फॉरेंसिक लेखापरीक्षा/वाणिज्यिक लेखापरीक्षा/आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग/लेखा बहियों की जांच एवं लेखापरीक्षा के क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव; **वांछनीय** :— (i) स्नातकोत्तर उपाधि, व्यवसाय प्रशासन/अर्थशास्त्र/वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि को तरजीह दी जाएगी ; (ii) अभियोजन प्रक्रियाओं में प्रयोग होने वाले सूचना एकत्र करने या विवरण रिकार्ड करने या सर्वोत्तम साक्ष्य का संकलन, मिलान एवं प्रस्तुति के उपकरणों एवं तकनीकों के प्रयोग का ज्ञान रखता हो। (समान या किसी अन्य विभाग/संगठन या केन्द्र सरकार में इस नियुक्ति के ठीक पूर्व किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे सात वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष होगी।) **टिप्पण** : प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के उद्देश्यों हेतु किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 (वह तिथि जब से छठे वेतन आयोग की अनुसंशाओं के आधार पर संशोधित वेतन संरचना लागू की गई) वेतन आयोग की अनुसंशाओं के आधार पर तद्नुरूप ग्रेड पे/विस्तारित वेतनमान में की गई सेवा की गणना की जाएगी, सिवाय उन मामलों के जहां एकाधिक संशोधन पूर्व वेतनमानों का समान ग्रेड पे/वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय कर दिया गया है, एवं यह लाभ मात्र उन पदों पर लागू होगा जिसके लिए वह ग्रेड पे/वेतनमान बिना किसी अपग्रेडेशन के सामान्य प्रतिस्थापन है।

क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है। यदि हां, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 4/2/2008-प्रशासन एसएफआईओ]

अविनाश कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
(Serious Fraud Investigation Office)
NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2011

G.S.R. 524(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Additional Director (Forensic Auditing) in the Serious Fraud Investigation Office, Ministry of Corporate Affairs, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Serious Fraud Investigation Office, Ministry of Corporate Affairs, Additional Director (Forensic Auditing) (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and pay band with grade pay/scale of pay.—The number of post, its classification, and the pay band with grade pay/scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age-limit, educational qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection by merit or selection-cum-seniority or non-selection post.	Whether benefit of added years of services admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 for Direct Recruits	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Additional Director (Forensic Audit)	2*(2011) *(Subject to variation depending on the work-load.	General Central Service, Group-'A', Gazetted, (Non-Ministerial)	Pay Band-4, Rs. 37400 67000 (Grade Pay Rs. 8700)	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ or absorption and percentage of posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or by deputation or absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made
(11)	(12)
By deputation	**Deputation :** Officers of Central Organized Accounts Service under the Central Government (Indian Audit and Accounts Service, Indian Defense Accounts Service, Indian Cost Accounts

(12)

Service, Indian Railway Accounts Service, Post and Telegraph Finance and Accounts Service, Indian Civil Accounts Service);

(A) (i) holding analogous post in the parent cadre/department on regular basis; or

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band and grade pay/scale of pay of Rs.15600-39100 with Grade Pay of Rs.7600 in PB-3 or equivalent in the parent cadre or department;

(B) possessing the following educational qualification and experence :—

Essential :

(A) (i) Bachelor's Degree from a recognized University; or

(ii) Qualification recognized for enrolment in the Register of Members of the Institute of Chartered Accountants of India/Institute of Cost and Works Accountants of India;

(B) five years' experience in the field of forensic auditing/commercial audit/internal audit division/investigation of accouts and auditing;

Desirable :—

(i) Master's Degree preferably in Business Administration/ Economics/Commerce;

(ii) should be conversant with tools and techniques of collection of evidence or recording of statement or collection, collation and presentation of best evidence to be used in prosecution proceedings.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years extendable upto seven years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.)

Note : For the purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where these has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.

2578GI/11-2

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 4/2/2008-Admn. SFIO]

A. K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.